उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928
us.kaviniviniyam@uppcl.org
0522-2218329/2218420

पत्र सं0 #Document Number# कविनी एवं विनियम-29 कम्प्यू0सं0-22532 दिनांक 23-01-2026
I-38721/2026

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.11.2025 को सम्पन्न 216(22)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अधीनस्थ अभियन्ता (ई0एण्डएम0) सेवा विनियमावली-1972 (यथा संशोधित)** के अन्तर्गत निम्नानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु, स्तम्भ-01 के अनुसार लागू अद्यतन व्यवस्था को एतद्द्वारा नवीन व्यवस्था (स्तम्भ-02) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अद्यतन व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
<u>PART-V: Regulation no-13 :</u> Recruitment as Apprentice Supervisor (later Junior Engineer) shall be made on the basis of selection to be held from time to time in accordance with such procedure as may be prescribed by the Board from time to time.	**वेतनमान -** **<u>अवर अभियन्ता (ई0एण्डएम0)</u>** समम् वेतन लेवल-7 (रू0-44900-142400) (4600/-ग्रेड पे) **शैक्षिक योग्यता:** इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्यूनीकेशन विधा में 03 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0/ए0आई0सी0टी0ई0/केन्द्र या राज्य के विधि द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हो। (अंशकालिक/ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम् से प्राप्त डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे)। **<u>सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु प्रक्रिया -</u>**

	1. चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जायेगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जायेगा। 2. उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET Score या इसी प्रकार की राज्य अथवा केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के Score (जैसा कि निर्धारित किया जाय) के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। 3. **चयन के निम्नवत् दो चरण होंगे:-** **प्रथम चरण:-** रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 05 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक-2 में उल्लिखित परीक्षा के Score के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा। शार्टलिस्टिंग हेतु कटऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जायेगा। **द्वितीय चरण:-** शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी। 4. द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र निम्न् दो भागों में विभाजित होगा:- **प्रथम भाग में** NIELIT के **"O" लेवल स्तर** के पाठ्यक्रमानुसार कम्प्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित 50 प्रश्नों में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। **द्वितीय भाग** के 200 प्रश्न निम्नानुसार होंगे: (1) सामान्य अध्ययन - 20 (2) सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण - 15 (3) सामान्य अंग्रेजी - 15 (4) विषय ज्ञान - 150 *(लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न*

	के सही उत्तर के लिए 04 अंक दिये जायेंगे एवं गलत उत्तर के लिए 01 अंक की कटौती की जायेगी) 5. द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही अन्तिम मेरिट तैयार की जायेगी।

(ii) सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अधिकृत होंगे।

(iii) **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अधीनस्थ अभियन्ता (ई0एण्डएम0) सेवा व नियमावली-1972 (यथा संशोधित)** को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

पत्र सं0 #Document Number# काविनी एवं विनियम-29 दिनांक 23-01-2026
I-38721/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0- वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0-मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0-लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0-आगरा/ केस्को , कानपुर एवं यू०पी०आर०ई०वी० के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम / द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष / सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।

11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दि० 12.11.2025 को 216(22)वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में।

16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

17. पत्रावली सं0-07-विनियम/18 (TC)(A.S.R/85) में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,

23/01/26

(अंजू)

अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)